फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 266/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/283) **श्री रतनलाल जाट व अन्य बनाम श्री भेरू उर्फ भेरूलाल जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.02.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री पी.सी.पालीवाल - वकील अपीलार्थी 2. श्री बंशीलाल गर्ग - वकील प्रत्यर्थी-1 से 4 **अनवान** 1. श्री रतनलाल आत्मज श्री नन्दा जाट, जवासिया तहसीलद गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 2. श्री पप्पूलाल आत्मज श्री नन्दा जाट, जवासिया तहसीलद गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 3. श्रीमती विमला आत्मज श्री नन्दा जाट, जवासिया तहसीलद गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 4. श्रीमती सोहनी बेवा श्री नन्दा जाट, जवासिया तहसीलद गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ **अपीलार्थी** 1. श्री भेरू उर्फ भेरूलाल आत्मज स्व.श्री छोगा जाट, जवासिया तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 2. श्री मुकेश आत्मज स्व.श्री छोगा जाट, जवासिया तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 3. सीमा आत्मज स्व.श्री छोगा जाट, जवासिया तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 4. सोहनी बेवा स्व.श्री छोगा जाट, जवासिया तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 5. रूकमा आत्मज श्री मांगू जाट, जवासिया तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 6. श्री रामलाल आत्मज भगवाना जाट, जवासिया तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 7. श्री शंकरलाल आत्मज भगवाना जाट, जवासिया तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 8. काली आत्मज भगवाना जाट, जवासिया तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 9. जोरी आत्मज भगवाना जाट, जवासिया तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 10. श्रीमती सरजु बेवा भगवाना जाट, जवासिया तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ 11. श्री मांगीलाल आत्मज हेमा जाट, जिवानी का खेड़ा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार, बप्रकरण संख्या 07/2016 निर्णय दिनांक 13.07.2016 (अनवान श्री भेरूलाल जाट व अन्य बनाम नन्दा व अन्य)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 13.02.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार, बप्रकरण संख्या 07/2016 निर्णय दिनांक 13.07.2016 (अनवान श्री भेरूलाल जाट व अन्य बनाम नन्दा व अन्य) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार समक्ष नामान्तरकरण संख्या 403 दिनांक 15.12.2000 के विरूद्ध एक अपील अन्तर्गत धारा-75 एलआर एक्ट के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जवासिया तहसील गंगरार के आराजी संख्या 2080, 2081, 987, 988, 989, 1535, 1543, 1550, 1551, 1552, 2094, 2209, 1524 से 1527, 1542, 1543, 2237 की आराजी उनके एवं रेस्पोडेंटस् (वर्तमान अपील के अपीलार्थी) के पुर्वजों के नाम खातेदारी दर्ज होकर कब्जे काश्त थी। उपरोक्त आराजीयात में जीतु पिता सवाईराम का हक हिस्सा है। श्री जीतु के लाऔलाद फौत हो जाने से उनके वारिसान श्री भेरू पुत्र श्री छोगा, मुकेश पुत्र श्री छोगा, सीमा पुत्री श्री छोगा, सोहनी बेवा श्री छोगा, श्री नन्दा, रामलाल पुत्र श्री भगवाना, शंकरलाल पुत्र श्री भगवाना, सरजु बेवा श्री भगवाना है। जीतु की मृत्यु हो जाने उपरान्त राजस्व अधिकारियों द्वारा सजरा बनाकर इन्तकाल भरा लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा सिर्फ नन्दा एवं भगवाना के नाम मनमर्जी से नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जबकि उक्त भूमि में उनका एवं अन्य वारिसान रेस्पोडेंटस् का भी हिस्सा निहित है। अतः उक्त नामान्तरकरण निरस्त कर भी विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें • उक्त अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोर्ट कैंप कुवालिया में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 13.07.2016 से अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 403	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 266/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/283) **श्री रतनलाल जाट व अन्य बनाम श्री भेरू उर्फ भेरूलाल जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निरस्त किया और प्रकरण पुनः तहसीलदार, गंगरार को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर पुनः नियमानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

उक्त आदेश दिनांक 13.07.2016 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष उक्त अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के प्रस्तुत की। उक्त प्रार्थना पत्र पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया।

दिनांक 03.02.2023 को अधिवक्ता अपीलार्थी व प्रत्यर्थी-1 से 4 उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई। अन्य बावजुद सुचना अनुपस्थित।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि नामान्तरकरण संख्या 403 दिनांक 05.12.2000 के 17 वर्ष पश्चात् रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष मयाद बाधित अपील पेश की और जिसकी पूर्ण जांच किये बिना, अपीलार्थीगण की कोई नोटिस/सम्मन जारी किये बिना, उनको सुनवाई का अवसर प्रदान न कर उक्त अपील कोर्ट कैंप में रखी जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो लोक अदालत की भावना के विपरित होने से निरस्तनीय हैं। उक्त कैंप में प्रत्यर्थी-1 से 4 द्वारा प्रस्तुत कथनों को मात्र काल्पनिक व कयासी आधार उल्लेखित करते हुए कारण रहित निर्णय पारित किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, वह पूर्ण जांच उपरान्त स्वीकार किया गया, जिसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वार मयाद के बिन्दु को तय किये बिना, अपीलार्थीगण के परोक्ष निर्णय पारित कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को ससमय नहीं होने से जानकारी प्राप्त होते ही हस्तगत अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। उपरोक्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें और उसके अनुसरण में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1313 दिनांक 02.08.2021 को भी निरस्त फरमाया जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2008(2) आरएलडब्ल्यु 975 (एससी) प्रस्तुत किया।

प्रत्यर्थी-1 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त बहस के खण्डन में प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत है। मौजा जवासिया तहसील गंगरार के आराजी संख्या 2080, 2081, 987, 988, 989, 1535, 1543, 1550, 1551, 1552, 2094, 2209, 1524 से 1527, 1542, 1543, 2237 की आराजी अपीलान्ट व रेस्पोडेंटस् के पुर्वजों के नाम खातेदारी दर्ज होकर कब्जे काश्त थी। उपरोक्त आराजीयात में जीतु पिता सवाईराम का हक हिससा है। श्री जीतु के लाऔलाद फौत हो जाने से उनके वारिसान अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंटस् है। जीतु की मृत्यु हो जाने उपरान्त राजस्व अधिकारियों द्वारा सजरा बनाकर इन्तकाल भरा लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा सिर्फ नन्दा एवं भगवाना के नाम मनमर्जी से नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जबकि उक्त भूमि में प्रत्यर्थी-1 से 4 का भी हिस्सा निहित है, जिस पर पूर्ण विचार विश्लेषण एवं जांच उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि नामान्तरकरण संख्या 403 स्वीकृत करते समय अन्य वारिसान का नाम दर्ज नहीं किया गया, जिससे उनके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 403 निरस्त करते हुए प्रकरण सभी वारिसान की जांच उपरान्त निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार गंगरार द्वारा सभी वारिसान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय दिनांक 01.02.2021 पारित कर सभी विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 1313 दिनांक 02.08.2021 स्वीकृत किया गया। उपखण्ड अधिकारी, गंगरार के निर्णय दिनांक 13.07.2016 की पालना की जा चुकी है, जिससे यह अपील निष्प्रभावी हो चुकी है। अपीलार्थी द्वारा आप न्यायालय में तहसीलदार के निर्णय के विरूद्ध भी अपील प्रस्तुत की जा चुकी है, उस प्रकरण मे पारित निर्णय अंतिम होगा। लेख है नामान्तरकरण संख्या 403 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध पाया गया, ऐसे विधि विरूद्ध निर्णय पर मयाद के बिन्दु लागु नहीं होते है। ऐसें में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 266/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/283) **श्री रतनलाल जाट व अन्य बनाम श्री भेरू उर्फ भेरूलाल जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2016 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 21.09.2021 को अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। सवप्रर्थम मयाद के बिन्दु को विनिश्चित किया जाना उचित समझते हुए मयाद अधिनियम कें प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों पर मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा आक्षेपित निर्णय परोक्ष रूप से पारित किये जाने का प्रमुख कारण अंकित किया जिससे न्यायहित में प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि मूल पुरूष सवाई राम के पांच पुत्र श्री मांगु, भगवाना, छोगा, जीतु, गिरधारी होकर सभी फौत हो चुके है। श्री जीतु के मृत्यु उपरान्त उनकी विरासत का नामान्तरकरण पटवारी द्वारा नन्दा, भगवाना, छोगा एवं गिरधारी के नाम वर्ष 2000 में भर कर ग्राम पंचायत समक्ष प्रस्तुत किया परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा जीतु की विरासत का नामान्तरकरण सिर्फ नन्दा एवं भगवाना के नाम दर्ज किया, जबकि अन्य वारिसान भी रिकार्ड पर उपलब्ध थे। यह स्पष्ट है कि जीतु की विरासत का नामान्तरकरण सभी विधिक वारिसान के नाम दर्ज किया जाना था, जो नहीं किया गया। ऐसे में नामान्तरकरण संख्या 403 दिनांक 05.12.2000 अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण था, जिसके कभी भी चुनौती दी जा सकती है और ऐसे निर्णय पर मयाद का बिन्दु प्रभावी नहीं होता है। यहां लेख है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान अपील के अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, परन्तु नामान्तरकरण संख्या 403 में प्रथम दृष्टया पाई गई गलती को इस बिन्दु पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। नामान्तरकरण को दर्ज करने, उसकी जांच करने व सक्षम अधिकारी द्वारा उसे निर्णित करने के संबंध में राजस्थान भू-राजस्व(भू-अभिलेख) नियम, 1957 के प्रावधान लागु होते है। उक्त नियमों के नियम 121(4) में अंकित हिदायतों की पालना करते हुए नामान्तरकरण निर्णित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को नामान्तरकरण के संबंध में पूर्ण जांच उपरान्त नामान्तरकरण तस्दीक करना होता है। इन प्रावधानों की पालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई। नामान्तरकरण से व्यथित होकर प्रत्यर्थी-1 से 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोर्ट कैंप कुवालिया में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 13.07.2016 से अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 403 निरस्त किया और प्रकरण पुनः तहसीलदार, गंगरार को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर पुनः नियमानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। यह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार के अपीलधीन निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाता है। इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी, गंगरार के निर्णय की पालना तहसीलदार गंगरार द्वारा की जाकर निर्णय दिनांक 01.02.2021 पारित किया जा चुका है, ऐसे में हस्तगत अपील सारहीन भी हो चुकी है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट सारहीन** होने से खारिज की जाती है और उपखण्ड अधिकारी, गंगरार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2016 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया)
I.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर